उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन विभाग

संख्या– 1061 /41–2020
लखनऊः दिनाँकः 17 मार्च, 2020

कार्यालय–आदेश

कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव एवं नियंत्रण के उपायों को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी किये गये ऐडवाइजरी दिनाँक 11–03–2020 एवं दिनाँक 16–03–2020 के क्रम में पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन की ओर से निम्नलिखित ऐडवाइजरी तत्काल प्रभाव से अनुपालन हेतु व्यापक जनहित में जारी की जाती हैः–

1– प्रदेश के समस्त ऐसे पर्यटन स्थलों, जहाँ पर बड़ी संख्या में अथवा समूहों में पर्यटकों का आवागमन होता है, को तत्काल प्रभाव से दिनाँक 31–03–2020 तक बन्द रखा जाए।

2– पर्यटन उद्योग से जुड़े हुये उद्यमियों अथवा उद्यम समूहों के द्वारा ट्रेवेल ट्रेड से सम्बन्धित कोई आयोजन दिनाँक 31–03–2020 तक नहीं किया जाये।

3– दिनाँक 31–03–2020 तक पर्यटकों के द्वारा ग्रुप अथवा समूहों में यात्रा एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण कदापि न किया जाये तथा एक साथ एकत्रित होने से भी बचा जाये।

4– विभिन्न होटलों–रिज़ॉर्ट्स एवं रेस्टोरेन्ट्स आदि के द्वारा समुचित हैण्डवाशिंग प्रोटोकॉल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। रिसेप्शन, वेटिंग लाउन्ज एवं वाशरूम एरिया में सेनेटाईजर एवं डिस्पोजबुल नैपकिन्स आदि की प्रचुर एवं समुचित व्यवस्था निरन्तर सुनिश्चित की जाये।

5– स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी होने अथवा कोरोना वायरस के लक्षण होने की दशा में पर्यटकों के द्वारा तत्काल सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा राजकीय चिकित्सालय से तत्काल सम्पर्क किया जाये और इस रोग से बचाव एवं नियंत्रण हेतु चिकित्सा–परामर्श का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रदेश में स्थित विभिन्न पर्यटन कार्यालयों एवं ट्रेवेल ट्रेड इण्डस्ट्री के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव एवं नियंत्रण में देशी–विदेशी पर्यटकों का तत्पर सहयोग अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगा तथा दिनाँक 31–03–2020 अथवा अन्य अग्रिम आदेश जारी होने तक प्रभावी रहेगा।

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1061/41–2020 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2– निजी सचिव, मा0 पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उ0प्र0 शासन।
3– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8– पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
9– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
10– समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
11– पर्यटन उद्योग/ट्रेवेल ट्रेड से जुड़े हुये समस्त संगठन, उ0प्र0।
12– आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव